न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या पुराना 06/2021 नया खाता संख्या 312/2024

वाद दायरी दिनांक :– 21.01 2021

1. श्रीमती मुन्नी बनों आयु करीब 48 वर्ष पुत्री स्व नजीर पत्नी बाबुखां जाति मनियार दुसरा निवासी मोडकी उप तहसील गुढा गोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुनू हाल निवासी वार्ड नं. ६. गन्नी कोलोनी झुझुनूं तहसील व जिला झुझुनूं (राज.)

वादी

बनाम

1. आमीन आयु करीब 60 वर्ष पुत्र स्व. नानू
2. श्रीमती बिसमिल्ला आयु करीब 65 वर्ष पत्नी स्व. बाबुलाल
3. सतार आयु करीब 30 वर्ष पुत्र स्व. बाबुलाल
4. मोहम्मद शकील आयु 42 वर्ष पुत्र स्व. बाबुलाल
   जाति मनियारउप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं
5. श्रीमती अन्नु आयु 32 वर्ष पुत्री स्व. बाबुलाल पत्नी मुबारिक जाति मनियार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 19 चुरू तहसील व जिला चुरू (राज.)
6. श्रीमती रजिया आयु 25 वर्ष पुत्री स्व. बाबुलाल पत्नी मसूर अली जाति मनियार, मुसलमान निवासी वार्ड नं. 8 महनसर हाल निवासी वार्ड नं. 21 बिसाऊ उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं (राज.)
7. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं (राज.)
8. नायब तहसीलदार उपतहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुझुनू वादी

दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दूरूस्ती , विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक-- 24.04.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है व कस्बा बिसाऊ में मिरू नामक मनियार (मुसलमान) हुआ जिसके लड़के बिड़दा व भूरा हुये थे। बिड़दा के लड़के नानू व लाला हुये थे। नानू के लड़के वादीया का पिता नजीर व बाबुलाल व प्रतिवादी नं. 1 आमीन हुये। बाबुलाल का देहान्त हो गया व उसके वारीसान प्रतिवादीगण नं.2 से 6 है। वादीया के पिता उक्त नजीर का विवाह वादीया की माता श्रीमती रहमत के साथ मुस्लिम विधि के अनसुार सम्पन्न हुआ था। उक्त नजीर से श्रीमती रहमत के केवल एक सन्तान वादीया श्रीमती मुन्नी बानो पैदा हुई। वादीया की माता श्रीमती रहमत उर्फ श्रीमती रहमतबानो ग्राम बसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर की मूल निवासी थी व

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

श्रीमती रहमतबानो के पिता का नाम रहीमबक्श व माता का नाम आईसा बानो था। वादीया का जन्म करबा बिसाऊ में ही हुआ था। वादीया के पिता नजीर का देहान्त दिनाकं 23.09.2003 को करबा बिसाऊ में हुआ था व इस बावत रजिस्ट्रार बिसाऊ ने दिनाक 20.06.2005 को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें वादीया के पिता का नाम नजीर व वादीया की माता का नाम रहमत दर्ज है। इस मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त नजीर की पत्नी रहमत होना व माता नानूड़ी व पिता नानू होने का अंकन किया हुआ है।यह इत्याज नगरपालिका बिसाऊ में दर्ज है।करबा बिसाऊ की सरहद में जमीन गत खन. 643 मिन रकवा 9वीघा 12 विश्या हाल ख.न. 1630 रकवा 1.10 हैक्टर, हाल ख.न. 1638 रकवा 1.13 हैक्टर, हाल ख.न. 1639 रकवा 0.14 हैक्टर कुल रकबा 2 4300 हैक्टर है। यह जमीन इस दावे में विवादित है व इस जमीन के बावत ही दावे में अनुतोष चाहा गया है। उक्त जमीन वादीया के पिता नजीर व उनके भाईयों बाबुलाल व प्रतिवादी नं. 1 आमीन को मुस्लिम विधि के अनुसार इनके दादा विड़दा ने दी थी। विड़दा व भुरा की जमीन की खातेदारी विड़दा के नाम हो जाने से भूरा के लड़के ताजु ने निम्न दावा किया–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुझुनूं

ताजु बनाम लाला आदि

दावा– इस्तकरारहक व बंटवारा

दावा संख्या 32/1981

निर्णय व डिकी दिनाकं 23.10.1982

उक्त दावा में प्रतिवादीगण नं. 1 से 13 थे जिनमें प्रतिवादीगण नं. 3 से 5 क्रमशः नजीर बाबुलाल, आमीन पक्षकार है व इनकी माता प्रतिवादी नं. 2 भी पक्षकार है व भूरा के शेष वारीसान भी पक्षकार है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुझुनूं ने अपने निर्णयव डिकी दिनाकं 23.10.1982 में जमीन गत ख.न. 643 में से 10 बीघा जमीन के खातेदार काश्तकार वादी के पिता नजीर व भाईयों बाबुलाल व प्रतिवादी नं. 1 मजीद उर्फ आमीनूकोचतिकिया इसवर्णकी पालना में दिनाक 28.01.1983 को नामाकरण संख्या 788 नायब तहसीलदार उप तहसील मलसीसर ने बादीया के पिता व भाईयों की खातेदारी दर्ज की व इसमें से कुछ जमीन सड़क में आ जाने से शेष जमीन गत ख.न. 643 रकवा 9 वीघा 12 विश्वा हाल ख.न. 1630, हाल ख.न. 1638, हाल ख.न. 1639 वाके ग्राम बिसाऊ की खातेदारी वादीया के पिता नजीर व इनके भाईयों बाबुलाल व प्रतिवादी नं. 1 आमीन की रही व शामिल मे जमीन काश्त करते रहे। प्रतिवादी न. 1 का नाम मूल अजीज दर्ज हो जाने से प्रतिवादी नं. 1 ने सही नाम दुरूस्त करवाया व आमीन दर्ज करवाया।इस प्रकार विवादित जमीन पहले वादीया क पिता नजीर व बाबुलाल व प्रतिवादी नं. 1 की सयुक्त खातेदारी व कब्जे की थी व प्रत्येक का 1/3 हिस्सा था। वादी के पिता नजीर का देहान्त दिनाक 23.09.2003 को हो जाने के बाद विवादित जमीन के 1/3 हिस्से की सह खातेदार उसकी उतराधिकारीगण वादीया व उक्त श्रीमती रहमत हुई। वादीया की माता श्रीमती रहमत का देहान्त दिनाक 28.03.2014 को हो गया। श्रीमती रहमत की अकेली वारीस वादीया श्रीमती मुन्नी बानो है। इस प्रकार जमीन ख.न. 1630 रकवा 1.1600 हैक्टर, ख.न. 1638 रकबा 1.1300 हैक्टर, ख.न. 1639 रकवा 0.1400 हैक्टर वाके करबा बिसाऊ के खातेदार काश्तकार वादीया व प्रतिवादीगण नं. 1 से 6 है व इस जमीन में वादीया का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीनं. 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण नं. 2 से 6 का 1/3 हिस्सा है। इस कारण इस विवादित जमीन में वादीया श्रीमतीमुन्नीबानो अपने 1/3 हिस्से की सह खातेदारी की घोषणा करवाने

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

की अधिकारी है।विवादित जमीन को वादीया के पिता व उसके भाई बाबुलाल व प्रतिवादी नं. 1 सयुक्त रूप से काश्त करते थे। वादीया के पिता नजीर का असामयिक निधन हो जाने से वादीया की माता श्रीमती रहमत अधिकांश रूप से अपने माता पिता के घर ग्राम बेसवा रहने लगी व वादीया को अपने साथ रखने लगी। इस कारण वादीया की माता का नाम ग्राम बेसवा में दर्ज हुआ व वादीया की माता ने अन्य कोई शादी नहीं की। वादीया की माता श्रीमती रहमतबानो वादीया को लेकर फसल लाटने आदि के अवसर पर करबा बिसाऊ बाबुलाल व प्रतिवादी नं. 1 के पास आती जाती रहती थी व पैदावार का हिस्सा लेती रहती थी। आपस में विश्वास होने व अशिक्षित होने के कारण वादीया व उसकी माता ने पहले राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं की व प्रतिवादी नं. 1 व बाबुलाल ने कहा कि नजीर की जगह उनका नाम दर्ज हो जायेगा। आपस मे प्रेम होने से विश्वास कर लिया। वादीया की माता की मृत्यु के वाद प्रतिवादी नं. 1 आमीन ने पैदावार का गलत हिसाब देकर तीसरे हिस्से के तौर पर रकम देता रहा।कभी आपस में विवाद नहीं हुआ।दिनाकं 15.11.2019 को वादीया श्रीमती मुन्नी बानो विवादित जमीन में अपने तीसरे हिस्से की जमीन के पैदावार का हिसाब करने बिसाऊ आयी तो प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 ने वादी को धमकी दी कि विवादित जमीन में वादीया का कोई हक नहीं है व कोई हिसाब या पैदावार नहींदे। वादीया विवादित जमीन को रहन, बर दान व हस्तान्तरण करने की भी धमकी दी। इस पर वादीया ने अपने पति व रिश्तेदारों को इक ट्ठा किया व प्रतिवादीगण में से को भी इकट्ठा किया तो इन्होंने वादीया के नाम १/३ हिस्से की जमीन दर्ज करने का आश्वासन देकर समय लिया। इसके बाद वादीया ने अपने पति के मार्फत विवादित जमीन आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियां आदि ली तो पता चला कि प्रतिवादी नं. 1 व वाबुलाल ने पटवारी हल्का से साजिस कर वादीया के पिता नजीर को अविवाहित फौत होना दर्ज करवाकर गलत रूप से दिनांक 13.07.2005 को ही अपने दोनों के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया। इस प्रकार बाबुलाल व प्रतिवादी नं. 1 ने एक ही दिन में अवैध व गलत कार्यवाही कर नामान्तरकरण गलत दर्ज करवाया जबकि दिनाक 20.06.2005 को नगरपालिका बिसाऊ में नजीर पुत्र नानु का देहान्त होना व पत्नी का नाम रहमत होना व पिता का नाम नानू व माता का नाम नानुड़ी होना अंकित है। कस्वा बिसाऊ की मतदाता सुची में वादीया के पिता का नाम व वादीया की माता का नाम दर्ज है। वादीया की माता के मृत्यु प्रमाण पत्र मे पति का नाम नजीर दर्ज है। भामाशाह कार्ड में वादीया की माता का नाम रहमतबानो व पिता का नाम नजीर दर्ज है। इस प्रकार वादीया उक्त नजीर की एकलौती वारीस है व नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही से वादीया की 1/3 हिस्से की खातेदारी खत्म नहीं होती है। उक्त अवैध्य नामान्तरकरण के आधार पर बना राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी भी वादीया के हकुक के खिलाफ शुन्य है।यह कि माह मार्च सन् 2020 में कोरोना बिमारी के कारण वादीया कार्यवाही नहीं कर सकी व दिनाक 01.11.2020 को वादीया ने प्रतिवादीगण नं. 1 से को बंटवारे के लिये कहा तो इन्कार कर दिया व वादीयाके हकुक से भी इन्कार कर दिया व पैदावार का हिस्सा देने सेवउपयोग करने से भी इन्कार कर दिया। इस कारण वादीया को अपार नुकशान हो रहा है। विवादित जमीन को बर्बाद करने व हस्तान्तरण करने की धमकी प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 द्वारा दी जा रही है। इस कारण वादीया बंटवारा करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।दावे में बंटवारे का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादीगण नं. 7 व 8 के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा है। दावा में बंटवारे का अनुतोष होने से ही इन्हें प्रफोरमा पक्षकार बनाया गया है।दावा के लिये बिनायमुखासमत दिनाकं 15.11.2019 को पैदा हुई जब

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 ने वादीया के हकुक से इन्कार कर धमकी दी व दिनाक 01.11.2020 को पैदा हुई जब बंटवारे से इन्कार किया व खुर्द बुर्द करने की धमकी दी।विवादित कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से इस दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है।जमीन गत ख.न. 628 हाल ख.न. 1564, हाल ख.न. 1565, हाल ख.न. 1566, हाल ख.न. 1567 कुल रकबा 0.10 हैक्टर वाके कस्बा बिसाऊ में गलत रूप से 9/10 हिस्से की जमीन इन्होने मिलकर अन्य को विक्रय कर दी। इस जमीनके बाबत वादीया कोई क्लेम नहीं कर रही है वआवश्यकता होने पर कार्यवाही की जायेगी।यह कि दावा पेशकर निवेदन है कि रू–

क– घोषणा यह की जावे कि जमीन ख.न. 1630 रकबा 1.1600 हैक्टर, ख.न. 1638 रकबा 1.1300 हैक्टर, ख.न. 1639 रकबा 0.1400 हैक्टर कुल रकबा 2.4300 हैक्टर वाके कस्बा बिसाऊ में वादीया श्रीमती मुन्नी बानो 1/3 हिस्से की सह खातेदार है व वादीया का 1/3 हिस्सा घोषित कर बंटवारे के लिये प्राथमिक डिकी जारी की जाकर निर्देश दिया जावे कि वादीया व प्रतिवादीगण नं. 1 से 6 के बीच विभाजन कर वादीया को 1/3 हिस्से की विभाजित जमीन पर कब्जा दिया जावे व इसके बाद अन्तिम डिकी जारी कर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

ख– प्रतिवादीगण नं. 1 से 6 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विवादित जमीन ख.न. 1630 रकबा 1.1600 हैक्टर, ख.न. 1638 रकबा 1. 1300 हैक्टर, ख.न. 1639 रकबा 0.1400 हैक्टर कुल रकबा 2.4300 हैक्टर वाके कस्बा बिसाऊ को या भाग को न रहन रखे न बेचे न दान करे न निर्माण करें न हस्तान्तरण करे व न हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करें

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी 01,03 व 04 की ओर से अभिभाषक उपस्थित तथा जबाब देही के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जबाब दावा पेश नही किये जाने पर इनकी जबाब देही बन्द की गई। प्रतिवादी न0 02, 05, 06 07,08 की बाद तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादीया की ओर की शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर दस्तावेजात प्रर्दश 1 मुकदमा उनवान ताजू बनाम लाला वगै. आदेशिका, प्रर्दश 2 – तहसीलदार को पालना आदेश, प्रर्दश–3 मुकदमा उनवान ताजू बनाम लाला वगै. वाद पत्र की प्रति, प्रर्दश–4 मुकदमा उनवान ताजू बनाम लाला वगै. जबाब प्रार्थना पत्र की प्रति, प्रर्दश–5 मुकदमा उनवान ताजू बनाम लाला वगै. पारित निर्णय की प्रति, प्रर्दश–6 मुकदमा उनवान ताजू बनाम लाला वगै. डिक्री की प्रति, प्रर्दश–7 नामान्तरण संख्या 299, प्रदर्श 8– मृत्यु प्रमाण पत्र नजीर, प्रर्दश–9 निर्वाचक नामावली प्रफोमा–6 नजीर, प्रर्दश–10 निर्वाचक नामावली प्रफोमा–6 रहमती, प्रदर्श 11– मृत्यु प्रमाण पत्र रहमती, प्रदर्श 12– जनआधार प्रमाण पत्र, प्रदर्श 13– आधार कार्ड, प्रदर्श 14– भामाशाह कार्ड, प्रदर्श 15– राशन कार्ड, प्रदर्श 16– नामान्तरकरण संख्या 251, प्रदर्श 17– नामान्तरकरणसंख्या 767, प्रदर्श 18– नामान्तरकरणसंख्या 793, प्रदर्श 19– नामान्तरकरण संख्या 420, प्रदर्श 20– नामान्तरकरणसंख्या 420, प्रदर्श 21– मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 22– नक्शा किश्तवार, प्रदर्श 23– जमाबन्दी 2074–77, प्रदर्श 24– मिसल हकियत 1999, प्रदर्श 25– जमाबन्दी 2012–15, प्रदर्श 26– जमाबन्दी 2016–19. प्रदर्श 27– जमाबन्दी 2020–23, प्रदर्श 28– जमाबन्दी 2024–27, प्रदर्श 29– जमाबन्दी 2032–35,

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

प्रदर्श 30– जमाबन्दी 2041–44, प्रदर्श 31– जमाबन्दी 2041–44, प्रदर्श 32– जमाबन्दी 2041–44, प्रदर्श 33– जमाबन्दी 2059–62, प्रदर्श 34– जमाबन्दी 2065–68, प्रदर्श 35– जमाबन्दी 2069–2072, प्रदर्श 36– जमाबन्दी 2074–77, प्रदर्श 37– जमाबन्दी वर्ष 2006, प्रदर्श 38– एलआर एक्ट की धारा 121 फार्म07, प्रदर्श 39– एलआर एक्ट की धारा 121 फार्म07, प्रदर्श 40– मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 41– जमाबन्दी सम्वत 2069–2072, प्रदर्श 42– जमाबन्दी सम्वत 2065–68 , प्रदर्श 43– जमाबन्दी 2074–77, प्रदर्श 44– निकाह लिखावट, प्रदर्श 45– निकाह लिखावट उर्दु,पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता की आम सहमती से वाद पर सीधे बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर जमीन ख.न. 1630 रकबा 1.1600 हैक्टर, ख.न. 1638 रकबा 1.1300 हैक्टर, ख.न. 1639 रकबा 0.1400 हैक्टर कुल रकबा 2.4300 हैक्टर वाके कस्बा बिसाऊ में वादीया श्रीमती मुन्नी बानो 1/3 हिस्से की सह खातेदार है व वादीया का 1/3 हिस्सा घोषित कर बंटवारे के लिये प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर निर्देश दिया जावे कि वादीया व प्रतिवादीगण नं. 1 से 6 के बीच विभाजन कर वादीया को 1/3 हिस्से की विभाजित जमीन पर कब्जा दिया जावे ।

विधि में भूमि के धोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि नजीर पुत्र नानू का 1/3 हिस्सा पूर्व में दर्ज रिकार्ड रहा है। फौतगी नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 13.07.2005 के द्वारा नजीर को अविवाहित दर्ज कर भाईयों के नाम से नामान्तरकरण दर्ज हुआ है। वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 8– मृत्यु प्रमाण पत्र नजीर, प्रर्दश–9 निर्वाचक नामावली प्रफोमा–6 नजीर, प्रर्दश–10 निर्वाचक नामावली प्रफोमा–6 रहमती, प्रदर्श 11– मृत्यु प्रमाण पत्र रहमती, प्रदर्श 12– जनआधार प्रमाण पत्र, प्रदर्श 13– आधार कार्ड, प्रदर्श 14– भामाशाह कार्ड, प्रदर्श 15– राशन कार्ड के आधार पर साबित है कि मृतक नजीर पुत्र नानू अविवाहित व नाऔलाद फौत नहीं हुआ है तथा वादिया उक्त मृतक नजीर की वारीस है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके कस्बा बिसाऊ तहसील बिसाऊ के ख.न. 1630 रकबा 1.1600 हैक्टर, ख.न. 1638 रकबा 1.1300 हैक्टर, ख.न. 1639 रकबा 0.1400 हैक्टर कुल रकबा 2.4300 हैक्टर में दर्ज समस्त खातेदारन के कुल हिस्से में से 1/3 हिस्सा हजफ कर वादिया को हजफ 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी

(आर.ए.एस.)

दावा घोषणार्थ एव स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 312/2025 मुन्नी बानू बनाम आमीन वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 24.04.2025 के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके कस्बा बिसाऊ तहसील बिसाऊ के ख.न. 1630 रकबा 1.1600 हैक्टर, ख.न. 1638 रकबा 1.1300 हैक्टर, ख.न. 1639 रकबा 0. 1400 हैक्टर कुल रकबा 2.4300 हैक्टर में दर्ज समस्त खातेदारन के कुल हिस्से में से 1/3 हिस्सा हजफ कर वादिया को हजफ 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

वसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.04.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा